दिनांक: 22.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

डायल 112, जनपद सहारनपुर पुलिस को हाई टैक्नोलोजी से लैस नई 16 स्कार्पियो मोबाइल गाड़ियाँ व 05 पल्सर मोटरसाइकिल मिली

अवगत कराना है कि वर्तमान समय में जनपदीय पुलिस को हाईटेक करने, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु व पीड़ित को कम से कम समय में पुलिस सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से आज दिनांक 22.04.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन, सहारनपुर में डायल 112 सहारनपुर पुलिस को हाई टैक्नोलोजी से लैस 16 स्कार्पियों मोबाईल गाड़ियँ व 05 पल्सर मोटरसाईकिलों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। । इन 16 गाड़ियो में से 02 गाड़ियो में 360 डिग्री व्यू कैमरा की सुविधा दी गयी है जो 02 किलोमीटर की परिधि में किसी व्यक्ति की शक्ल व उसकी गतिविधियों की हाई रेजोल्यूशन विडियो रिकोर्डिंग कर सकता है तथा रिकार्डेड वीडियो को 01 महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है। रिकार्डेड वीडियो को बाद में पुलिस द्वारा साक्ष्य के तौर पर व घटना की विस्तृत जानकारी के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। उक्त हाई रेजेल्यूशन कैमरो की सफलता व उपयोगिता को देखते हुए बाद में अन्य गाड़ियो में भी इन कैमरो को लगया जायेगा।

हाई रेजोल्यूशन कैमरा से लैस 02 स्कार्पियो मोबाईल गाड़ियो को थाना देवबंद व गंगोह क्षेत्र में चलाया जायेगा। नई 16 स्कार्पियो मोबाईल गाडीयाँ मिलने से जनपद सहरानपुर में कुल 58 मोबाईल गाड़ियाँ हो गयी है तथा 05 पल्सर मोटरसाइकिल मिलने से कुल मोटरसाइकिलों की संख्या 24 हो गयी है ।सभी मोबाईल कार व मोटरसाइकिल पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को बॉडी वार्न कैमरा दिये गये हैं जिससे घटनास्थल की उपयोगी विडियो रिकार्डिंग प्राप्त की जा सकेगी। धीरे- धीरे डायल 112 सहारनपुर पुलिस की सभी पुरानी गाड़ियों को नई टैक्नोलोजी से लैस स्कार्पियो गाड़ियो मे परिवर्तित किया जायेगा।

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 22.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गए 02 सोलर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.04.2024 को वादी श्री सुबोध कुमार पुत्र श्री कृपाल सिहँ निवासी ग्राम झरोली, थाना सरसावा सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.गुलशेर पुत्र मतलूब 2.कुरबान पुत्र मंगता नि0 ग्राम घंघोड थाना सरसावा सहारनपुर के द्वारा वादी के खेत से 04 सोलर पैनल प्लेट को चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 104/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर पुलिस द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिए जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.04.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **गुलशेर पुत्र मतलूब नि0 ग्राम घंघोड थाना सरसावा सहारनपुर** को नकुड़ रोड पर माढी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गए 02 सोलर पैनल बरामद किए गए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त गुलशेर उपरोकत ने बताया कि मैं अनपढ़ हूँ व नशा करने का आदि हूँ। अपने इसी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करता हूँ। मैंने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर ग्राम झरौली के जंगल से दिनांक 19/20.04.24 व 20/21.04.24 की रात्रि मे कुल चार सोलर पैनल चोरी किये थे, जिसमे से दो सोलर पैनल मेरा सथी ले गया और दो सोलर पैनल मेरे हिस्से मे आये थे। आज जब मैं चोरी किए सोलर पैनल को बेचने जा रहा था तभी पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुलशेर पुत्र मतलूब नि0 ग्राम घंघोड थाना सरसावा सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 02 सौलर पैनल।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

- 1.मु0अ0स0-182/17 धारा 13जी एक्ट थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
- 2.मु0अ0सं0- 162/20 धारा 188,269,270 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर
- 3.मु0अ0सं0- 104/24 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह रावल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

2. का0 2557 कृष्ण कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

3. का0 1960 टेकचन्द थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक: 22.04.24

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर साइबर पुलिस टीम द्वारा साइबर ठगी के शिकार हुये व्यक्ति के कराये गये 3731/- रूपये वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 21.04.2024 को शिकायकर्ता निशान्त गौतम निवासी जाटव नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ने साइबर हैल्प डैस्क थाना कुतुबशेर पर शिकायत पंजीकृत कराई, जिसमें धोखाधडी करके 3731- रूपये अज्ञात व्यक्ति ने स्कूटी की किस्त भरने के नाम पर धोखे से ट्रांसफर करा लिये थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, साइबर अपराधो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर (प्रथम) के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पर गठित साइबर सेल टीम द्वारा उक्त प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित नौडल अधिकारी से समन्व्य स्थापित करते हुये शिकायतकर्ता निशान्त गौतम उपरोक्त की धोखाधडी की गयी **पूर्ण धनराशि से 3731 रुपये** आज दिनांक 22.04.2024 को साइबर हेल्प डेस्क टीम थाना कुतुबशेर द्वारा वापस कराई गई। शिकायतकर्ता द्वारा धोखाधडी में गई धनराशि वापस कराने पर थाना कुतुबशेर पुलिस का आभार प्रकट किया है।

-धोखाधडी में गई धनराशि को वापस कराने वाली साईबर हेल्पडेस्क टीम-

1. प्र0नि0 सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. कम्प0आप0 अभिषेक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. का0 2405 मनोज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 22.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस तथा 01 मोटरसाईकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शस्त्र एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग के दौरान आज दिनांक 22.04.2024 को एक अभियुक्त **इरशाद पुत्र हमीद अंसारी निवासी ग्राम घाटेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** को हाडी पुलिया पटनी रोड़ सड़क पुख्ता से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक देशी तमन्चा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक फर्जी नम्बर प्लेट व एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0 नम्बर HR 02 J 1147 चैसिस नम्बर MBLHA10BWFHL23432 व इंजन नम्बर HA10EWFHL39155 बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 93/2024 धारा 420/414/465 भादवि व 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम पता:-

इरशाद पुत्र हमीद अंसारी निवासी ग्राम घाटेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

01 तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस जिन्दा 315 बोर

01 फर्जी नम्बर प्लेट

01 मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0 नम्बर HR02J1147 चैसिस नम्बर MBLHA10BWFHL23432 व इंजन नम्बर HA10EWFHL39155

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 विजय सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 246 हेमन्त सिह थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 1821 टिकू यादव थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 22.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा टोल प्लाजा चमारीखेड़ा पर हुये झगडे के 04 वांछित अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 21.04.2024 को वादी रिजवान पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर ने थाना फतेहपुर उपस्थित एक लिखित तहरीर बाबत ग्राम बट्टनवाला टोल पर कार्यरत 07 कर्मचारियों नाम पता अज्ञात द्वारा वादी व उसके साथियों के साथ एक राय होकर गाली गलौच करते हुए मारपीट करने तथा गाडी संख्या UK08AB4344 मे तोड फोड करने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 82/24 धारा 147/323/504/427 भादवि बनाम टोल प्लाजा के 07 कर्मचारी नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर, द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.04.24 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा टोल प्लाजा चमारीखेड़ा पर हुये झगड़े से सम्बन्धित 04 अभियुक्तगण **1.अनिरुद्ध पुत्र महेश निवासी मौहल्ला संत नगर कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर 2.शिवम पुत्र विनय निवासी बुढडा खेड़ा पुण्डीर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर 3.रजत पुत्र अमरीश निवासी भाभरी थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर 4.अक्षय पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी मौहल्ला पंजाबी कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को टोल प्लाजा चमारीखेड़ा से छुटमलपुर की जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.अनिरुद्ध पुत्र महेश निवासी मौहल्ला संत नगर कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

2.शिवम पुत्र विनय निवासी बुढडा खेड़ा पुण्डीर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

3.रजत पुत्र अमरीश निवासी भाभरी थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर

4.अक्षय पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी मौहल्ला पंजाबी कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सोनू राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. है0का0 1114 यतेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. का0 2327 सतीश कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 22.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.04.2024 को वादी श्री ईश्वरपाल पुत्र मामराज निवासी ग्राम चांदनपुर पो0 नल्हेडा गुर्जर थाना रामपुर मनि0 सहरानपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर उपस्थित आकर लिखित तहरीर दी कि नीशू शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा निवासी प्रकासलोक कालोनी निकट लेबर कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर 2. कर्ण पुत्र राकेश निवासी लक्कड माजरा सर्किट हाउस रोड, सहारनपुर व 02 अज्ञात लडकों द्वारा वादी के पुत्र विपिन व उसके दोस्त अनुराग के साथ गाली-गलौच कर धमकी देकर एक लाख रूपये की रंगदारी मांगना, न देने पर अभि0 नीशू द्वारा विपिन को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल कर दिया। तहारीर के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 231/21 धारा 307/386/504/506/34 भादवि पंजीकृत किय गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार श्री संतोष कुमार त्यागी के द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा अभियोग में नामित अभियुक्त **नीशू पण्डित उर्फ निशान्त शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा नि0 प्रकाश विहा कालोनी गली न0 2 थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को दिनांक 21.4.24 को काशीराम बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर व एक कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी और अनुज चौहान के बीच पैसो का लेन देन था इसी को लेकर अनुज चौहान मुझे फोन पर गालियाँ दे रहा था। उसने मुझे फोन पर ही जैवी जैन पर बुलाया था। मै वहाँ अपने साथी कर्ण पुत्र राकेश निवासी लक्कड माजरा सर्किट हाउस रोड सहारनपुर को लेकर पहुँचा तो अनुज चौहान व विपिन व 2 अन्य लडके भी मोजूद थे। इन सभी ने मेरे साथ गाली गलोज शुरु कर दी तो गुस्से मे आकर हाथ मे लिये तमंचे से मैने विपिन को गोली मार दी।

अभियुक्त का नाम पताः-

नीशू पण्डित उर्फ निशान्त शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा नि0 प्रकाश विहा कालोनी गली न0 2 थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

➢ 01 तमंचा 315 बोर

- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम -</u>

1. उ0नि0 शंशाक गिरी थाना सदर बाजार जनपद सराहनपुर।
2. है0का0 850 सचिन चौधरी सदर बाजार जनपद सराहनपुर।
3. है0का0 109 राजकुमार सदर बाजार जनपद सराहनपुर।